न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.–160/2016

उनवान

1. नन्दा पिता लूम्बा गुर्जर निवासी भगवानपुरा तहसील हुरड़ा
2. हेमराज पिता चन्दा गुर्जर निवासी भगवानपुरा तहसील हुरड़ा

–प्रार्थीगण

वनाम

1. राधेश्याम पिता लादूराम नाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा।
2. गोर्वधन पिता लादूराम नाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा।
3. सांवर लाल पिता लादूराम नाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा।
4. पुखराज पिता लादूराम नाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा।
5. सीमा पत्नी मिश्री लाल नाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा।
6. कमला पत्नी मिश्री लाल नाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा।
7. छाउ बेवा लादूराम नाई निवासी आगूंचा तहसील हुरडा।

–विपक्षीगण

उपस्थित :– मोहम्मद निसार, वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) , राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक– 05.06.2017

1. प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का आगूंचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 6665/5271 रकवा 05 बीघा 05 प्रार्थी नं. 2 के नाम पर व , आराजी नम्बर 6664/5271 रकवा 01 बीघा 04 विस्वा प्रार्थी नम्बर 1 के नाम पद दर्ज रेकार्ड ओर यह उक्त पर कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे लेते चले आ रहे है ।

2. आराजी नम्बर 5239 रकवा 14 बीघा विपक्षी नं. 1 से 7 के नाम पर दर्ज रेकार्ड चली आ रही है ।

3. प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के पश्चिम दिशा की ओर विपक्षी नम्बर 1 से 7 की आराजी स्थित है व उनके बाद मे रास्ता है पूर्व मे प्रार्थीगण अपनी आराजी मे आने जाने हेतु उक्त रास्ते व विपक्षी नम्बर 1 से 7 की आराजी से ही उपयोग उपभोग करते आ रहे थे ।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner

4. विपक्षी नं. 1 से 7 के द्वारा उक्त आराजियात जो कि प्रार्थीगण की आराजियात के पश्चिम दिशा की ओर है का उपयोग उपभोग व आने जाने से इन्कार कर दिया है जिससे प्रार्थीगण को उनकी आराजी पर कृषि यन्त्र (ट्रैक्टर , बैलगाडी आदि) लाने व अन्य साधन ले जाने मे रोक टोक करने से काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है ।और बिना रेकार्ड रास्ते के प्रार्थीगण को अपनी आराजी मे फसल काश्त करने से व उनकी देख रेख करने व सिंचाई करने मे काफी कठिनाई महसूस हो रही है ।

5. विपक्षी नं. 1 से 7 की आराजी क सटमा रास्ता जिससे प्रार्थीगण विपक्षी नम्बर 1 से 7 की आराजी मे से होकर अपनी आराजी पर पहुंचने का सबसे सुलभ रास्ता है वह इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी मे आनेजाने हेतु किसी प्रकार का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। लेकिन विपक्षी नम्बर 1 से 7 के द्वारा आने जाने मे रोक टोक करने के कारण प्रार्थीगण को काफी दिक्कतो का सामना करना पडता है ।

6. प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजी मे आने जाने हेतु विपक्षी नं. 1 से 7 की आराजी के उत्तरी दिशा की ओर प्रार्थीगण को 15 फिट चौडा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण को अपने कृषि यन्त्र , फसल आदि लाने ले जाने हेतु दिलाया जाना आवश्यक है । जो प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर जाने हेतु अत्यधिक आवश्यकता है । व प्रार्थीगण के पास इसके अलावा अपनी जोत पर जाने का कोई अन्य विकल्प रास्ता नही है । तथा रास्ता प्राप्त करने के लिए प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशों व शर्तो को मनने को तैयार है । अन्त मे अंकित किया गया कि ग्राम भगवानपुरा की आराजी नम्बर 6665/5271 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा व आराजी नम्बर 6664/5271 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा मे आने जाने हेतु विपक्षी नम्बर 1 से 7 की आराजी नम्बर 5239 रकबा 14 बीघा मे से कलमं नं. 5 मे वर्णित अनुसार उत्तरी दिशा की ओर रास्ते से प्रार्थीगण की आराजी मे आने जाने हेतु 15 फिट का चौडा रास्ता नजरी नक्शे के अनुसार दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें ।

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

7. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरियें नोटिस तलब किये जाने पर विपक्षी संख्या– 1 से 4 व 7 की ओर श्री विश्वदीप सिंह एवं विपक्षी सं. 5 व 6 की ओर से श्री युगलकिशोर व्यास के द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब का अवसर चाहा गया ।

8. ततपश्चात पत्रावली आज लोक अदालत केम्प मे प्रस्तुत हुई वकील प्रार्थी उपस्थित हुये । तहसीलदार हुरड़ा से मौके की रिपोर्ट तलब की जाने पर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार हुरड़ा द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/2017/दिनांक 05.06.2017 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है । जिस अनुसार वर्तमान मे प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता होना तथा आराजी नम्बर 5239 रकबा 14 बीघा के उत्तरी दिशा ओर से 03 विस्वा नया रास्ता प्रस्तावित किया गया जिसकी लम्बाई 30 गट्टा तथा चौडाई 2 गट्टा होना बतायी गई है ।

9. तहसीलदार की मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई बक्त बहस प्रार्थी ने तहसीलदार की रिपोर्ट को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

10. मैंने वकील प्रार्थी की बहस को सुना। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगूंचा तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर आराजी नम्बर 6665/5271 रकबा 05 बीघा 05 विस्वा हेमराम पिता चन्द्रा गुर्जर सा. देह भगवानपुरा तथा आराजी नम्बर 6664/5271 रकबा 01 बीघा 04 विस्वा भूमि नन्दा पिता लूम्बा गुर्जर सा. देह. भगवानपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है ।

11. यहां प्रार्थी का कथन है कि उनकी कृषि आराजियात मे आवागमन का कोई रास्ता नहीं है । चूंकि प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि मे आने जाने .के लिए निकटतम रास्ता आराजी नम्बर 5239 मे से दिया जाना तहसीलदार के द्वारा प्रस्तावित किया गया है ।

12. ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी अत्यधिक आवश्यक प्रतीत हुआ है तथा अन्य दुसरा कोई विकल्प न होने के कारण न्यायालय यह उचित समझता है कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए तहसीलदार हुरड़ा द्वारा प्रस्तावित रास्ता दिया जावें ताकि वह अपने खेतो पर आ जा सके कृषि कार्य कर सके । तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से यह आदेश सुनाया जाता है कि :–

उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगूंचा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर 5239 रकबा 14 बीघा के उत्तरी दिशा की ओर मे से 03 विस्वा भूमि जिसकी चौडाई 2 गट्टा लम्बाई 30 गट्टा भूमि अप्रार्थी राधेश्यास , गोर्वधन , सांवर लाल,

Scanned by CamScanner

पुखराज पिता लादूराम छाउ वेवा लादूराम सीमा पुत्री मिश्री लाल कमला पत्नी मिश्री लाल नाई के खाते मे से कम की जाकर गै.मू. रास्ते मे दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । चूंकि अप्रार्थीगण प्रतिकर की रकम प्राप्त करने पर सहमत नहीं होने से अधिनियम की धारा–251 क के नियम–69(1) मे दिये गये प्रावधानानूसार राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम–58 के उप नियम (2) के अधिन अवधारित दरों (डी.एल.सी.) का दुगुनी राशि प्रार्थी के द्वारा जमा करायी जाने पर तहसीलदार हुरड़ा को तहरीर जारी की जावें । उप पंजियक हुरडा के द्वारा भूमि-प्रतिकर की राशि 418240/– रूपये होना वताया गया है । वकील प्रार्थीने उक्त राशि जमा कराना चाहने से तहसीलदार हुरडा को लिखा जावें की प्रार्थी से भूमि प्रतिकर की राशि 418240/–रूपये प्राप्त कर अमानत मद मे जमा करावें तथा भूमि प्रतिकर की राशि जमा होने के पश्चात संलग्न नक्शा के अनुसार मौजा भगवानपुरा तहसील हुरड़ा की आराजी आराजी नम्बर 5239 रकवा 14 बीघा के उत्तरी दिशा की ओर मे से 03 बिस्वा भूमि जिसकी चौडाई 2 गट्टा लम्बाई 30 गट्टा भूमि खातेदार के खाते मे से कम की जाकर गै.मू. रास्ता सार्वजनिक विलानाम मे दर्ज किया जावें । पत्रावली शुमार फैसल होकर मूलवाद के साथ सलंग्न रहे। आदेश आज दिनांक 05.06.2017 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी
गुलाबपुरा (जिला-भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner